


मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन0एच0-235 के अन्तर्गत मेरठ-बुलन्दशहर रोड (कि0मी0 7.469 से कि0मी0 66.482) तक के अन्तर्गत पंचशीलनगर में कि0मी0 27.100- कि0मी0 53.100 के चार लेन अपग्रेडेशन हेतु पर्यावरणीय क्लियरेंस हेतु लोक सुनवाई का कार्यवृत्त:-

मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन0एच0-235 के अन्तर्गत मेरठ-बुलन्दशहर रोड (कि0मी0 7.469 से कि0मी0 66.482) तक के अन्तर्गत पंचशीलनगर में कि0मी0 स्टोन 27.100 से कि0मी0 स्टोन 53.100 (हापुड बाईपास) के चार लेन अपग्रेडेशन हेतु पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त किया जाना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14-9-2006 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई दिनांक 26-04-2012 को अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), पंचशील नगर (जिलाधिकारी महोदय, पंचशील नगर द्वारा नामित) की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11:00 बजे प्रारम्भ हुई, जिसमें परियोजना क्षेत्र में आच्छादित विभिन्न ग्रामों के जन प्रतिनिधियों/निवासियों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हापुड मिलखुआ विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति का हस्ताक्षरित उपस्थिति विवरण संलग्नक '1' के रूप में संलग्न है। लोक सुनवाई के दौरान की गयी विडियोग्राफी संबंधी सी0डी0, फोटोग्राफ संलग्न है।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा संदर्भित लोक सुनवाई के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति (छायाप्रति संलग्न है), के माध्यम से दैनिक सनाचार पत्रों यथा अमर उजाला (हिन्दी दैनिक) एवं द हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी दैनिक) में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14-09-06 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 14-03-12 को प्रकाशित करायी गयी एवं परियोजना के संबंध में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किए गए। दिनांक 26-04-2012 तक कोई आपत्ति/सुझाव लिखित रूप से कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं तथा लोक सुनवाई के दौरान सुझाव/आपत्ति लिखित अथवा मौखिक रूप से आमंत्रित की गयी। तत्पश्चात परियोजना के पर्यावरणीय परामर्शी संस्था मैसर्स स्कोट विल्सन के प्रतिनिधि से परियोजना के विस्तृत प्रस्तावों एवं पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुरोध किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि श्री विनोद कुमार गौतम द्वारा अवगत कराया गया कि संदर्भित परियोजना एन0एच0-235 के अन्तर्गत मेरठ-बुलन्दशहर रोड (कि0मी0 7.469 से कि0मी0 66.482) तक के अन्तर्गत पंचशीलनगर में कि0मी0 स्टोन 27.100 से कि0मी0 स्टोन 53.100 तक (जनपद-पंचशील नगर में ग्राम- ददायरा से प्रारम्भ होकर चक श्यामपुर, मुरादनगर, बाबूगढ़ होते हुए पटनासेल) के चार लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव है तथा प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 418 करोड़ है, जिसमें पंचशील नगर के अन्तर्गत आच्छादित योजना की कुल लागत 174 करोड़ है। (परियोजना का संक्षिप्त कार्यकारी विवरण संलग्न है)।

  
Regional Officer  
U.P. Pollution Control Board  
Ghaziabad.

परियोजना सड़क के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है:-

□ किमी 0.410 से किमी 7.469 तक वर्तमान सड़क विभाजित कैरिज वे के साथ 4 लेन है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग 235 के मेरठ आगे के भाग किमी. 7.469 से किमी 66.425 तक को 4 लेन विन्यास में डिजायन किया गया है। पंचशीलनगर में कि०मी० 27.100-कि०मी० 53.100 तक कुल 26 कि०मी० के चारलेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव है।

□ प्रस्तावित सड़क के साथ कोई भी आरक्षित वन नहीं है।

□ प्रस्तावित सड़क के 10 किमी के अन्तर्गत कोई भी वन्य जीव अभ्यारण नहीं है।


□ दादरी थर्मल पावर स्टेशन लगभग 25 किमी. की दूरी पर स्थित है एवं फ्लाईएश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान लगभग 0.5 मिलीयन घनमीटर फ्लाईएश का प्रयोग होगा।

पर्यावरणीय प्रभाव व रोकथाम:-

परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मानिट्रिंग परियोजना सड़क का आस पास 4 स्थानों क्रमशः फफूंद, सादिकपुर, गुलावटी एवं जैनपुर पर प्रति सप्ताह 2 नमूने की दर की से की गई। परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मानिट्रिंग PM2.5, PM10, SO2, NOx तथा CO के लिये की गई। परियोजना सड़क के साथ परिवेशीय वायु गुणवत्ता PM2.5, PM10, SO2, NOx तथा CO पैरामीटरों के लिए, औद्योगिक, आवसीय, ग्रामीण, तथा अन्य क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता के मानकों के अन्दर है। PM2.5 अधिकतम 39  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  तथा न्यूनतम 26  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  तथा औसत 33  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  पाया गया है। PM10 अधिकतम 81  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , न्यूनतम 56  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  तथा औसत 66  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  पाया गया है। परिवेशीय वायु गुणता की रिपोर्ट संलग्न है। परियोजना के निर्माण के दौरान उड़ने वाली डस्ट के नियंत्रण हेतु टैंकरों के माध्यम से नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जाएगा। वन: परियोजना सड़क के साथ कोई भी आरक्षित वन नहीं है। परियोजना सड़क के साथ पेड़: परियोजना सड़क के साथ वृक्षों की विभिन्न प्रकार की जातियाँ, जैसे शीशम, पापडी, नीम, सिर, यूकेलिप्टस मुख्यतः पाये जाते हैं। प्रस्तावित परियोजना में जनपद-पंचशीलनगर के अन्तर्गत कुल 4588 पेड़ कटेंगे। पेड़ों के कटने के कारण प्रत्याशित पर्यावरण प्रभावों की रोकथाम करने के लिए वृक्षों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, 1:3 अनुपात में वन विभाग द्वारा किया जाएगा एवं इसके लिए धन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा। मेरठ-बुलन्दशहर रोड (कि०मी० 7.469 से कि०मी० 66.482) तक के अन्तर्गत पंचशीलनगर में कि०मी० 27.100-कि०मी० 53.100 तक (जनपद- पंचशील नगर में ग्राम- ददायरा, चकश्यामपुर, मुरादनगर, बाबूगढ़ होते हुए पटनासेल) के चार लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव है तथा प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 418 करोड़ है, जिसमें पंचशील नगर के अन्तर्गत आच्छादित योजना की कुल लागत 174 करोड़ है।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों/निवासियों द्वारा की गयी आपत्तियों/सुझावों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु की जाने वाली प्रस्तावित योजना का विवरण:-

- श्री सिराज कुरैशी, निवासी-हापुड़, जनपद- पंचशील नगर द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए:-

  
Regional Officer  
U.P. Pollution Control Board  
Ghaziabad

- I. राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान भूमि की खुदाई एवं मिट्टी की भराई तथा डम्परो के आवागमन से होन वाली धूल के प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्माण कार्य के दौरान नियमित रूप से पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाए तथा परिवेशीय वायु गुणता की जानकारी हेतु बाईपास के समीपवर्ती ग्राम में वायु गुणता की मानीटरिंग का कार्य किया जाए, जिससे कि निर्माण कार्य से आस-पास के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन एवं प्रभावी नियंत्रण पर विशेष बल दिया जाए।
- II. निर्माण कार्य के दौरान काटे गए वृक्षों के स्थान पर क्षेत्र के स्वच्छ पर्यावरण हेतु पर्यावरण के अनुकूल वृक्षों यथा: पीपल, नीम, आम, शीशम, गूलर एवं बड़ी पत्तियों वाले छायादार वृक्षों का रोपण करते हुए हरित पट्टिका विकसित को जाए।

- प्रश्न:- श्री राजू त्यागी, ग्राम- असौड़ा, जनपद- पंचशील नगर द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि बाईपास के निकट गुजरने वाले चकरोड़ जोकि बाईपास के अन्दर आ रहे हैं में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने हेतु एनएचएआई द्वारा क्या व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि बाईपास के समीप स्थित ग्रामवासियों के सुलभ आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।


उत्तर:- एनएचएआई के प्रतिनिधि श्री पंकज कुमार, परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि समीपवर्ती ग्रामों के आवागमन का बिन्दु परियोजना में संज्ञान में लिया गया है तथा इस हेतु विभिन्न स्थानों पर अण्डरपास एवं सर्विस रोड बनाया जाना प्रस्तावित हैं।

- प्रश्न:- श्री आनन्दवीर नारायण सिंह, ग्राम- असौड़ा, जनपद- पंचशीलनगर द्वारा प्रश्न उठाया गया कि बाईपास के किनारे जल निकासी हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी।

उत्तर:- एनएचएआई के प्रतिनिधि श्री ज्ञान गुप्ता (उप-महाप्रबन्धक) द्वारा बताया गया कि जल निकासी हेतु रोड के किनारे ड्रेन का प्रावधान है, जिसकी रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य भी एनएचएआई द्वारा किया जाएगा तथा जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था की जाएगी।

- प्रश्न:- श्री विजय, धीरखेड़ा एवं श्री सुरेश त्यागी, ग्राम-अच्छेजा द्वारा प्रश्न किया गया कि परियोजना के कियान्वयन के दौरान जनपद- पंचशील नगर में कुल कितने पेड़ कटेंगे तथा क्षतिपूर्ति हेतु कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे तथा किसी भी दशा में यूकेलिप्टस के पेड़ न लगाये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

उत्तर:- एनएचएआई के प्रतिनिधि श्री पंकज कुमार, परियोजना प्रबन्धक द्वारा उक्त प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना में जनपद-पंचशीलनगर के अन्तर्गत कुल 4588 पेड़ कटेंगे। पेड़ों के कटने के कारण प्रत्याशित पर्यावरण प्रभावों की रोकथाम करने के लिए वृक्षों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, 1:3 अनुपात में वन विभाग द्वारा किया जाएगा एवं इसके लिए धन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति हेतु रोपित किए जाने वाले पौधों की किस्मों का निर्धारण वन विभाग द्वारा किया जाता है, परन्तु लोक सुनवाई के दौरान वृक्षारोपण हेतु प्राप्त सुझावों से वन विभाग को अवगत करा दिया जाएगा।

  
26/4/12  
Regional Officer  
U.P. Pollution Control Board  
Ghaziabad.


- प्रश्न:- श्री केसर अर्ली, अध्यक्ष चमडा उद्योग हापुड़ द्वारा आपत्ति दर्ज करायी गयी कि बीओटी के अन्तर्गत निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स एकत्र किए जाने हेतु कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है तथा टोल टैक्स की वसूली किए जाने हेतु समयसीमा निर्धारित होनी चाहिए।

उत्तर:- एनएचएआई के प्रतिनिधि श्री एम०के० गुप्ता, परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि टोलटैक्स से संबंधित प्रकरण भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित होता है तथा यह बिन्दु पर्यावरण से संबंधित नहीं है।


उपरोक्त प्रश्नों/आपत्तियों/सुझावों के संबंध में श्री एम०के० गुप्ता, परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि संदर्भित परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान वर्णित समस्त आशंकाओं का निराकरण किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की व्यावहारिक/पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न न हो।

उपरोक्त लोक सुनवाई के अन्त में परियोजना के लोक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए क्रियान्वयन हेतु समस्त सुझावों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तावों का समावेश परियोजना में किये जाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आश्वासन के आधार पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों, अधिकारीगण, जन प्रतिनिधियों एवं उपस्थित सभी जन साधारण को धन्यवाद देते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त किये जाने की घोषणा की गयी।

  
(टी०ए०खान)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
गाजियाबाद

Regional Officer  
U.P. Pollution Control Board  
Ghaziabad.


  
(आत्माराम सागर)  
अपरजिलाधिकारी(वि०/रा०)  
पंचशील नगर।

मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन0एच0-235 के अन्तर्गत मेरठ-बुलन्दशहर रोड के चार लेन अपग्रेडेशन तथा फफूंद बाईपास, खरखौदा बाईपास, हापुड बाईपास एवं गुलावटी बाईपास हेतु पर्यावरणीय क्लियरेंस हेतु दिनांक 26-04-2012 को अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), पंचशील नगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11:00 बजे आयोजित लोक सुनवाई की उपस्थिति पंजीका।

क्रमांक	नाम व पदनाम	पता/मोबा. नं.	हस्ताक्षर
1.	अपर जिलाधिकारी (वि/राज)	ADMD(वि/राज) नगर	
2.	पंचशील नगर	कै. अ.मि. 30505500 गिन्कोस गुलावटी रोड	
3.	जी. एच. जीवास्व सहा. प.प. अधिकारी	राज्य नगरपालिका, प.प. हापुड रोड, गुलावटी	
4.	पुनील कुमार	डा. नरेश चंद्रा कालिया 8938804041	
5.	गुरप्रीत सिंह	सी इंड सी, अवास विकास कर्माली, हापुड	
6.	Yunraj Kumar	B-23, Sunjay Vihar, Awas Vihar Colony, Hapur	
7.	Vinod K Gantam	S-2, Plot 370, Sector-4, Vardha 42	
8.	Sajid Khem.	Scott Wilson A-26/4, NICIE	
9.	Hari Mittal	CBC construction Hapur 8938804044	
10.	Vidwan Indira	Hapur 8938804008	
11.	S. A. KHAN	Hapur 8938804015	
12.	Suresh Selathi	Hapur 9761408479	
13.	Abhiram Ray	Hapur	
14.	शंगम शर्मा	Hapur 8938805004	
15.	A. K. Sahw	Hapur	
16.	L. M. Fongis	Hapur 8938804047	

क्रमांक	नाम व पदनाम	पता / मो/व/सं	हस्ताक्षर
17.	<del>...</del>	Hapur 8859408943	
18.	V.K. Singh	Hapur 09569382482	
19.	Jyotsna Singh	HAPUR.	
20.	Manoj Kumar	8938804050	
21.	Pankaj Sr.	8938804001	
22.	Deepak Sr.	Asana	
23.	Rampal Singh	Dheerkhera	9257050650
24.	Manoj Sharma	Asana 9260187966	
25.	Vijay Singh	Dheer Khara 8938804049	
26.	Kapil Tyagi	Asana.	9568990226
27.	Ved Prakash 9690711767	Shiv Puri Hapur	
28.	SHAMSHER Singh		
29.	V.K. Gupta	Project Director of MMAI	9718888321
30.	...	...	9837077021
31.	SIRAJ AHMED QURESHI	OLD GHUNGI B.S. ROAD HAPUR	9560037705
32.	RAJESH KUMAR QURESHI	- PRESIDENT - CHARAM UDHOG - HAPUR	9412221590
33.	Manoj Chandray	Sayaj vilas	9837990749
34.	Manoj Teotia	Sayaj vilas	9837270844
35.	...	...	

क्रमांक	नाम व पदनाम	पता / मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
36.	सुरजदेव शिंदे	हापुड २११९१८८३२	सुरजदेव
37.	राजू चव्हाण	हापुड (हापुड)	राजू चव्हाण 9897627572
38.	कवलेश्वर पहाडे	AE HPDA	कवलेश्वर 9412774739
39.	सुभाष चौधरी	A-683 राजमंजरी विहार हापुड	सुभाष चौधरी 97412475633
40.	ज्ञान गुप्ता	उपमहापंचायत, म. हापुड सेठ	9639022888
41.	रस सी दवे	हापुड	9990717782
42.	सुरेश त्यागी	अहमदाबाद	9456681555
43.	Mond. ARIF	मोन्दा मेवासायाच हापुड	9358220052
44.	हापुड कलमि क. उ. ब.	हापुड	9358557438
45.	M. G. ...	हापुड ...	9927260751
46.	2/...	...	7520313351
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			

  
 26/4/12  
 Regional Officer  
 U.P. Pollution Control Board  
 Ghaziabad.